राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांकः– एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2018–19/ 7647–7762 जयपुर,दिनांकः 26/7/2019

आदेश

विभाग के ध्यान में आया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदक द्वारा ई–मित्र कियोस्क या स्वंय के एस एस ओ आई डी (sso id) के माध्यम से RAJSSP पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् विभिन्न कारणों से आवेदन रिजेक्ट/निरस्त कर दिये जाते है, जिनकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होती हैं। RAJSSP पोर्टल पर ऐसे आवेदनों में उनके रिजेक्ट/निरस्त होने के कारणों को ड्रॉप डाउन बॉक्स में प्रदर्शित किया जाने हेतु सत्यापनकर्ता अधिकारी एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर विकल्प उपलब्ध करवाया जाना है। पेंशन आवेदन के रिजेक्ट/निरस्त होने के कुछ कारणों की सूची निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक का आवेदन पर अंकित पते पर निवास नहीं करना।
2. परिवार के सदस्य यथा माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र या स्वयं का सरकारी सेवा में होना अथवा उनका पेंशनर होना।
3. घोषित आय से अधिक आय प्रतीत होना।
4. विधवा/परित्याक्ता/तलाकशुदा महिला द्वारा पुनर्विवाह किया जाना।
5. आवेदक का बी.पी.एल. सूची में सूचीबद्ध नहीं होना।
6. आवेदक की मृत्यु हो जाना।
7. आवेदक की आयु निर्धारित न्यूनतम आयु से कम प्रतीत होना।
8. दोहरी पेंशन स्वीकृत हो जाने के कारण।
9. विशेष योग्यजन पेंशन में विकलांगता प्रमाण पत्र का नही लगाया जाना अथवा विकलांगता का 40% से कम होना।
10. ई–मित्र कियोस्क के द्वारा आधारकार्ड/भामाशाह कार्ड/अन्य विवरण गलत अंकित किये जाने के कारण।
11. कृषक का निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि धारण करना।
12. अन्य कारण।

सत्यापनकर्ता अधिकारी के द्वारा उक्त सूची के अनुसार सुसंगत कारणों का चयन कर पोर्टल पर ऐसे आवेदनों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास अग्रेषित किया जायेगा, तथा गुण–अवगुण के आधार पर आवेदन निरस्त किये जाने का अधिकार स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

D:\stuti goswami\pension order.docx

Scanned by CamScanner

क्रमांकः— एफ 9(05)(14) पेंशन पोर्टल/सा.न्या.अ.वि/2018—19/ 7647-7762 जयपुर,दिनांकः 26/7/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सुविधा RAJSSP पोर्टल पर उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner